बिहार सरकार

महेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०
जिलाधिकारी, सुपौल।

बिहार सरकार
समाहरणालय, सुपौल
सुपौल–852131
(जिला पंचायत)

दूरभाष: 06473–223112 (कार्या०)
06473–224210 (फैक्स)
06473–223111, 223311 (आवास)
06473–223041 (फैक्स)
E-mail:dm-supaul.bih@nic.in
ˇमड्ेपजम रू ीजजचरूध्ध्ेनचंनसण्दपबण्पद

(नियोजन –पत्र)

सरकार के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–4046/पं०रा०, पटना, दिनांक 25.07.2018 एवं पत्रांक 7150, पं०रा० पटना, दिनांक 20.12.2018 में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 18.02.2020 को आयोजित जिला चयन समिति की बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 264–2/जि०पं०, सुपौल, दिनांक 20.02.2020 द्वारा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के पद पर नियोजन हेतु चयनित निम्न अभ्यर्थियों को पत्र में वर्णित शर्त्तों के अधीन निर्धारित मानदेय राशि मो0 20,000=00 (बीस हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह की दर से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता हैं :–

क्र0	मेघा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि
1	4	5	6	7	8	12
1	05	राहुल कुमार मंडल	श्री जयंती मंडल	ग्राम–रानीगंज पोटरी पो0–मझुआ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया	07.04.1993	UR
2	07	सुधांशु कुमार	श्री खड़गनाथ मिश्रा	ग्राम–गौतमनगर वार्ड नं0–15, गंगजला, पो0+जिला–सहरसा।	14.01.1990	UR
3	09	विनय कुमार	श्री जयराम विश्वास	ग्राम–रानीगंज पोटरी पो0–मझुआ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया	05.06.1993	UR
4	61	मनीष कुमार मिश्रा	स्व0 सूर्य ना0 मिश्र	ग्राम+पो0–डगमारा, थाना–कुनौली, प्रखंड–निर्मली, जिला–सुपौल।	15.02.1992	UR (दृष्टि दिव्यांग)
5	45	रजनीश कुमार	श्री देव नारायण झा	ग्राम+पो0–संस्कृत निर्मली, थाना–बलुआ बाजार, प्रखंड बसंतपुर जिला–सुपौल	01.03.1980	UR (अन्य दिव्यांग)
6	26	निकी कुमारी	श्री अरविन्द कुमार झा	ग्राम–दुर्गापुर, पो0+ प्रखंड–राघोपुर जिला–सुपौल	05.01.1993	URF
7	31	नूतन कुमारी	श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव	ग्राम–लोहिया नगर, सुपौल , पो0+थाना+जिला–सुपौल।	04.09.1985	URF
8	32	निवेदिता कुमारी	श्री आनंद कुमार	ग्राम+पो0–बैजनाथपुर, थाना–सौरबाजार, जिला–सहरसा।	14.12.1990	URF
9	41	विनोद आनंद	श्री गजेन्द्र सरदार	ग्राम–गाढ़ा रामपुर, पो0 बरियाही थाना–शंकरपुर जिला–मधेपुरा	15.08.1994	SC
10	17	अश्वनी कुमार	श्री विवेकानन्द साह	ग्राम–छर्रापट्टी, पो0–बीरनगर, थाना भरगामा, जिला–अररिया	14.02.1995	EBC
11	36	चन्द्रमाला साहु	श्री सुजीत कुमार साह	ग्राम+पो0–बसबिट्टी, थाना+जिला–सुपौल।	24.09.1993	EBC

12	49	सावित्री कुमारी	श्री नेमानी साह	ग्राम+पो0–बसनवाड़ा थाना–आलमनगर, उदाकिशनगंज, जिला–मधेपुरा	05.03.1993	EBCF
13	42	स्वीटी कुमारी	श्री सुशील मंडल	ग्राम+पो0+थाना–वीरपुर, जिला–सुपौल।	03.02.1993	BCF
14	15	भास्कर कुमार सिंह	श्री गुजेश्वर सिंह	ग्राम+पो0–सरडीहा, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा।	05.02.1984	UR
15	48	श्वेता कुमारी	श्री प्रवीश प्रधान	ग्राम–सिमराही, पो0+थाना–राघोपुर जिला–सुपौल	21.04.1993	BCF
16	59	संगीता कुमारी	श्री नारायण प्रसाद साह	ग्राम–नगर परिषद, वार्ड नं0–26, सुपौल, पो0+थाना+जिला–सुपौल।	21.05.1991	EBCF

लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक का निम्नवत् दायित्व होगा :–

i. सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

ii. अभिलेखों का विधिसम्मत संधारण सुनिश्चित कराना।

iii. ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही संधारण कराना।

iv. ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरण तैयार कराना।

v. अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

vi. सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

vii. e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

viii. जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले अन्य आवंटित कार्य दायित्वों को निर्वहन करना।

शर्त्त :–

1. यह नियोजन दिनांक 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर पंचायती राज विभाग से प्राप्त निदेश पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
2. नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (सिविल सर्जन, सुपौल द्वारा निर्गत) एकरानामा (परिशिष्ट–1) के साथ **दिनांक 07.03.2020 तक जिला पंचायत राज कार्यालय, सुपौल में अपना योगदान समर्पित करना होगा।** निर्धारित अवधि के पश्चात योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. संविदा शर्त्तो के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करेंगे।
4. नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को संविदा से हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्व जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
6. नियोजित कर्मियों को पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय राशि मो0 20,000.00(बीस हजार) रूपया प्रतिमाह देय होगा।

7. नियोजित कर्मियें को पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थित विवरणी के आधार पर जिला पचांयत राज पदाधिकारी, सुपौल द्वारा किया जायेगा।
8. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी प्रकार का कोई सुविधा देय नहीं होगा। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
10. अनुबंध पर नियोजित कर्मियों को विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।
11. नियोजित कर्मियों के नियोजन एवं उनके प्रमाण–पत्र से संबंधित भविष्य में किसी भी प्रकार का अनियमितता प्रकाश में आता है एवं मामला जाँच में सही पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द करते हुए विधि–सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/–

जिलाधिकारी,
सुपौल।

ज्ञापांक 298-2 / जि0पं0, सुपौल, दिनांक 29-02-/ 2020

प्रतिलिपि– सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी ग्राम पंचायत के मुखिया / सभी पंचायत सचिव, सुपौल–जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला नाजिर, समाहरणालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश है कि वे जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल–जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य प्रमंडल (P.H.E.D.) सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– सविल सर्जन, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/2020

जिलाधिकारी,
सुपौल।